।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व।।

क्रमांक :– ई–मेल 1053 दिनांक :– 01.04.2019

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय
वृत्त गांधीनगर जिला जयपुर पूर्व।

विषय :–राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाईन 181 परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार के संबध में ।

प्रंसग :–श्रीमान के कार्यालय आदेश कमांक 719 दिनांक 26.03.2019 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निवेदन है राजस्थान सम्पर्क (हैल्पलाईन सहायता) हैल्पलाईन 181 पर जरिये वैबपोर्टल परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 4/209 चित्रकुट वैशालीनगर वार्ड नं. 65 जयपुर द्वारा पेश परिवाद बाबत न्यू कटिग शिर्षक आंतकी के कपडो में मिला मौबाईल पुलिस छिपा गई मामला के संबध में निवेदन है कि दिनांक 20.02.2019 को परिवादी श्री आर.अनतेश्वरन पुत्र टी.ए. रामाकृष्णन उम्र–37 वर्ष, जाति–ब्राहम्ण निवासी–02/सी न्यू सरदार पुरा पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर हॉल उप अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर द्वारा थाना हाजा पर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि इस कारागृह पर सजा भुगत रहा पाक बंदी शकरउल्ला उर्फ मोहम्मद हनीफ उर्फ अमर सिंह गिल पुत्र सुबे खा उम्र 45 साल निवासी जेसरवाला पुलिस थाना दसका जिला सियालकोट (पाकिस्तान) को श्रीमान अपर सैशन न्यायाधीश संख्या -17 जयपुर महानगर जयपुर के प्रकरण संख्या 01/2012 (एफ.आई.आर न. 23/2010 पुलिस थाना एस.ओ.जी जयपुर) मे दंडित होकर दिनांक 06.12.2017 से सजा भुगत रहा था ।उच्च सुरक्षा वार्ड न. 10 में डयुटी पर तैनात प्रहरी श्री रामस्वरूप ने बताया कि आज दिनांक 20.02.2019 समय दोपहर लगभग 1.25 पीएम उच्च सुरक्षा वार्ड (वार्ड नं. 10) कोटडी न. 58 में जहा वार्ड का टी वी कक्ष स्थित है में कुल 09 बंदी शकरउल्ला उर्फ मोहम्मद हनीफ ,अजीत पुत्र रामकिशन, मनोज प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलवेन्द्र उर्फ कुल्लु पुत्र बुगल सिंह, भजन मीणा पुत्र हरफुल मीणा ,हाजी खा पुत्र रोजे खा, महेश लोटा पुत्र ताराचन्द, मलाखी पुत्र मोखीन, नन्दलाल पुत्र नरसी टी वी देख रहे बंदीयो के मध्य अचानक जोर से शोर करने पर डयुटी पर तैनात प्रहरी श्री रामस्वरूप खटीक टी वी वाली कोटडी के दरवाजे पर पहुॅचा तो इनमें से 04 बंदी हाजी खां , महेश , मल्लाकी , नन्दलाल ने चिलाल्ते हुए सुरक्षा प्रहरी को बताया की अन्दर अजीत , मनोज , कुलवेन्द्र उर्फ कुल्लु व भजन मीणा चारो शकरउल्ला के साथ मारपीट कर रहे है इनका शकरउल्ला के साथ टी.वी देखते समय झगडा हो गया उक्त बंदीयो ने उसके सिर पर टी.वी रखने वाले पत्थर से चोट मार दी जिस के कारण अचेत होकर कोटडी न. 58 मे ही गिर गया। प्रहरी श्री रामस्वरूप ने टी वी कोटडी का गेट खोला व लगातार विसल बजायी जिस पर मौके पर पहुॅचे डयुटी हवलदार श्री वेदनाथ शर्मा द्वारा केन्द्रीय कारागृह के कार्यवाहक महा मुख्य प्रहरी श्री प्रहलाद सिंह को सुचित किया गया । श्री प्रहलाद सिंह मुख्य प्रहरी हाल कार्यवाहक महामुख्य प्रहरी केन्द्रीय कारागृह द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अद्योहस्ताक्षर कर्ता कार्यवहक अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर घटनास्थल पर मय स्टाफ पहुंचा एवं जेल चिकित्सक को तुरन्त सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया गया जिस पर चिकित्सक डा. मुकट बिहारी चन्देल व अन्य चिकित्सा स्टाफ द्वारा बंदी को मृत घोषित किया गया। अत उक्त हत्या के संबध में प्राथमिकी दर्ज कर कानुनी कार्यवाही करने का श्रम करावें आदि रिपोर्ट पर थाना हाजा पर मुकदमा न 38/2019 धारा 302,34 भा.द.स. दिनांक 20.02.2019 को दर्ज होकर जैर अनुसंधान है प्रकरण हाजा में मृतक पाक बंदी शकरउल्ला उर्फ मोहम्मद हनीफ उर्फ अमर सिंह गिल पुत्र श्री सुबे खॉ जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी गांव जेसरवाला थाना दसका जिला सियालकोट पाकिस्तान के कब्जें से एक नोकिया मौबाईल मिला है। जिसको जब्त किया गया है तथा परीक्षण हेतु एफ. एस. एल. जयपुर में भिजवाया गया है।

R-871
02/04/19

रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना लालकोठी
जिला जयपुर (पूर्व)

Scanned by CamScanner